

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर-खीरी

निविदा-सूचना


जनपद न्यायालय लखीमपुर-खीरी में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु लेखन सामग्री क्रय हेतु विभिन्न आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेता फर्मों से मोहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं।

निविदा फार्म एवं क्रय की जाने वाली लेखन सामग्री सम्बन्धित विवरण जनपद न्यायालय लखीमपुर के पुस्तकालय अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में रू0 150/- का भुगतान करके दिनांक 08-08-2017 से 18-08-2017 तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएँ जमा करने की अन्तिम तिथि 18-08-2017 सायं 4:30 बजे तक होगी। नियत तिथि एवं समय के उपरान्त निविदा प्राप्त नहीं की जायेगी।


निविदाएँ दिनांक 22-08-2017 को सायं 4:30 बजे क्रय समिति द्वारा सभाकक्ष में खोली जायेंगी। निविदा के नियम एवं शर्तें माननीय उच्च न्यायालय की ऑफिसियल वेबसाइट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) तथा जनपद न्यायालय लखीमपुर की ऑफिसियल वेबसाइट [www.ecourts.gov.in](http://www.ecourts.gov.in) पर उपलब्ध है।

समस्त निविदादाता अपनी निविदा के साथ धरोहर राशि रू0 15,000/- का ड्राफ्ट जनपद न्यायाधीश लखीमपुर के पक्ष में जनपद न्यायालय लखीमपुर के केन्द्रीय नजारात में कैशियर के पास जमा करेंगे, जो निविदा के अस्वीकृत होने की दशा में वापस कर दिया जायेगा। जिस प्रतिष्ठान की निविदा स्वीकृत होगी, उसकी धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जमा रहेगी।

नियम एवं शर्त निविदा फार्म पर उपलब्ध है।

  
(आशीष कुमार राय)  
सदस्य

सिविल जज (क0प्र0), खीरी।


  
(अतुल चौधरी)  
सदस्य

सिविल जज (सी0डि0), खीरी।

  
(बाबुराम)  
अध्यक्ष

अपर जिला जज, खीरी।

निविदा फार्म का मूल्य	- 150/-रु0 (एक सौ पचास रु0 मात्र)
निविदा फार्म की बिक्री की तिथि/समय	- 08-08-2017 से 18-08-2017 तक
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	- 18-08-2017 सायं 4:30 बजे तक
निविदा फार्म खोलने की तिथि समय	- 22-08-2017 को सायं 4:30 बजे तक

  
(बाबूराम)

अध्यक्ष,  
कय समिति स्टेशनरी/  
अपर जिला जज, खीरी।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,  
लखीमपुर-खीरी।

महोदय,

मैं/हम

.....पुत्र.....

पता.....

..... ने निविदा शर्तों को सावधानी से पढ़ लिया है जो मुझे पूर्णतः मान्य है। अतः दी गयी दरों पर मेरी निविदा स्वीकृत होने पर मैं/हम अधोलिखित दर पर सामग्री आपूर्ति करने को तैयार हूँ। जो वस्तुएँ ISI मार्क से आच्छादित हैं, उनकी दरें व आपूर्ति भी ISI मार्क भी की जायेंगी।

(निविदादाता का हस्ताक्षर)

पूरा नाम व पता

क्रमांक	विवरण	समस्त कर दर सहित
1	शार्टहैण्ड नोटबुक	
2	ऑलपिन	
3	स्टैम्प पैड नीले	
4	एच0 बी0 पेन्सिल	
5	लिफाफा बड़ा साइज	
6	लिफाफा छोटा साइज	
7	सूजा	
8	टैग लच्छी	
9	फाइल कवर मोटे	
10	सेन्चुरी पेपर एफ-5 साइज	
11	सेन्चुरी पेपर ए-4 साइज	
12	टाइप पेपर मोटा	
13	निर्णय पेपर	

क्रमांक	विवरण	समस्त कर दर सहित
14	पेन पीठासीन अधिकारी के लिये(पाइलेट)	
15	कम्प्यूटर पेपर(10 X 12 X 1)	
16	सफेद कागज बड़ा	
17	शार्टहैण्ड पेन्सिल	
18	गोंद बोतल 700मिली0	
19	गम पेन 150मिली0	
20	कोर्ट डायरी	
21	कार्बन नीले	
22	टाइप पेपर	
23	सफेद धागा	
24	मोमबत्ती	
25	लाखबत्ती	
26	व्हाइटनर	
27	कैडक	
28	गार्ड फाइल	
29	पैड इंक शीशी	
30	पिन कुशन	
31	लिफाफा बादामी	
32	कलम नीले	
33	कलम लाल	
34	रिफिल जॉटर	
35	मार्कर	
36	करेक्शन पेन	
37	रबड़	
38	वाहन लॉग बुक	
39	कोर्ट डायरी पी0ओ0 मोटी	
40	कोर्ट डायरी पी0ओ0 पतली	
41	पेन्सिल लाल, नीली	
42	स्टेपलर	
43	स्टेपलर पिन्स	
44	पताका स्लिप पैड (कलर्ड)	

हस्ताक्षर निविदादाता  
पूरा नाम व पता

निविदा स्वीकृत होने पर मैं/हम निविदा शर्त के अनुसार अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होंगे। ऐसा न करने पर निविदा के साथ संलग्न अमानत की धनराशि मु0 15,000/-रु0 की अमानत धनराशि जब्त करने का आपको अधिकार होगा।

निविदा शर्त के अनुसार मु0 15,000/-रु0 का ड्राफ्ट जनपद न्यायाधीश लखीमपुर-खीरी के पक्ष में जनपद न्यायालय लखीमपुर में केन्द्रीय नजारत में कैशियर के पास जमा करेंगे, जो निविदा के अस्वीकृत होने की दशा में वापस कर दिया जायेगा। जिस प्रतिष्ठान की निविदा स्वीकृत होगी, उसकी धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जमा रहेगी।

प्रस्तुत निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश खीरी को होगा।

जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे मांग पत्र के अनुसार समस्त लेखन सामग्री तीन दिन के अन्दर आपूर्ति करनी होगी।

निविदाओं के साथ लेखन सामग्री का नमूना देना आवश्यक है। लेखन सामग्री की आपूर्ति नमूने के अनुसार ही स्वीकार की जायेगी।

जिस निविदादाता की निविदा दर स्वीकृत की जायेगी उसे एक अनुबन्ध, निर्धारित नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर करना होगा, जिसके लिए निविदादाता को एक सप्ताह का समय दिया जायेगा।

जहाँ से आपूर्ति की माँग है, वहाँ तक निविदादाता को अपने व्यय पर पहुँचना होगा इसके लिए अलग से कोई अन्य व्यय अनुमन्य नहीं होगा। आपूर्ति की गई सामग्री का नमूना किसी भी समय सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को लिए जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

आपूर्ति की गई सामग्री मानक स्तर की न होने पर सम्बन्धित अधिकारी को सामग्री वापस करने का उसके स्थान पर स्थानीय बाजार से क्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसकी अधिक भुगतान की धनराशि निविदादाता से वसूल की जायेगी।

समस्त निविदाएँ बजट प्राप्त हो चुके/बजट की प्रत्याशा में आमन्त्रित को उ। रही हैं।

यदि किसी मद में बजट आवंटित नहीं होता है तो उससे सम्बन्धित का। कराये जाने हेतु विभाग बाध्य नहीं होगा।

निविदा प्रपत्रों में अंकित सामग्रियों का मूल्य यथासम्भव बाजार भाव के समतुल्य गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए।

समस्त निविदादाता को निविदा फार्म के अनुसार मांगे गये समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करनी होगी।

निविदादाता के ऊपर कोई विभागीय धनराशि शेष रह जाती है तो उसका वसूली कानूनी रूप से तहसील के माध्यम से करा ली जायेगी।

निविदा प्रपत्र में अंकित सामग्री के अतिरिक्त स्टेशनरी सामग्री की आवश्यकता पड़ने पर अनुमोदित निविदादाता से वार्ता उपरान्त बाजार भाव पर क्रय किया जा सकेगा।

सम्बन्धित निविदादाता से नियमानुसार आयकर/बिक्रीकर काटा जायेगा।


निविदादाता द्वारा यदि निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो उसकी जमानत धनराशि को जब्त कर ठेका निरस्त करते हुए काली सूची में डाला दिया जायेगा।

निविदा खुलने के समय निविदादाता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि समस्त मूल प्रतियों सहित उपस्थित होंगे। इच्छुक निविदादाता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि समस्त मूल प्रतियों सहित उपस्थित होंगे। इच्छुक निविदादाता निविदा प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। निविदादाता को अपनी बीजक प्रत्येक माह की दस तारीख तक सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित करवाकर देना होगा। सम्बन्धित कार्य हेतु यदि किसी अन्य विभाग में पंजीकरण आवश्यक है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा दो लिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत आमंत्रित है जिसमें एक मोहरबन्द लिफाफे में निविदा दर एवं दूसरे मोहरबन्द लिफाफे में अन्य समस्त वांछित प्रपत्र रखा जायेंगे।

अन्य वांछित प्रपत्र निम्नानुसार हैं—

1. आयकर प्रमाण पत्र।
2. बिक्रीकर पंजीयन प्रमाण पत्र।
3. राजकीय विभागों एवं गैर राजकीय विभागों का कार्य अनुभव(यदि हो) संलग्न करें।
4. निविदा डालने वाले व्यक्ति का राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो।
5. माननीय न्यायालय के द्वारा दण्डित न होने, किसी राजकीय विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट न किये जाने, कोई भी विधिक कार्यवाही विचाराधीन न होने तथा किसी सक्षम न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित न होने का शपथ पत्र।
6. निविदा प्रमाणपत्र अंकित कार्यों हेतु सम्बन्धित विभाग कर पंजीयन प्रमाणपत्र।
7. बैंक खाता का विवरण(बैंक शाखा का नाम एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित)

  
(बाबूराम)  
अध्यक्ष,

क्रय समिति स्टेशनरी/  
अपर जिला जज,  
लखीमपूर-खीरी।